

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजजबनाम..... मण्डावर मु.नं. 28/24 (T.F) प्रभुदयाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक की तामील मेंजारी हुए
<p>22-11-24 पत्रावली पेश हुई। पीछरीन अधिकारी विधान सभा उप-चुनाव-2024 के निर्वाचन कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय दौसा पद्वारे अतः निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हो।</p> <p>20/12/24 प्रयापली पेश हुई। प्रार्थी मय प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। असाथी से. 1 व 3 का अधिवक्ता अस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा आदिनांक 20 असाथी 2, 4 व 10 के सम्मन तलपामा परिचे Reply AD पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी को धर-2 निर्देशित करने के बावजूद भी निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इसलिए प्रयापली में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रयापली आदेश 9 नियम 02 CPC (जहां सम्मनों की लगील, खर्चें देने से वादी के अस्तफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है एवं वाद का खर्चिज किया जाना) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रापधानों का प्रयोग करके खारिज की जाती है। साथ ही प्र.पग अन्तर्गत धारा 212 राज. कांशकारी अधि. 1955 में दिनांक 20.5.2024 के जारी अध्याई अग्रिम निवेदाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। प्रयापली केसल शुगर वेकड साखिल इफल हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	